न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:–

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 170 / 2016

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2016 / 00033

1. रामकुमार पुत्र दाताराम
2. महेश कुमार पुत्र महावीर जाति ब्राहमण
3. रामोतार पुत्र महावीर जाति ब्राहमण
4. कमला पत्नी चिरंजी
5. बलवान पुत्र चिरंजी
6. सुरेन्द्र पुत्र चिरंजी
7. जगमती पुत्री चिरंजी
8. कृष्णा पुत्र चिरंजी

समस्त जाति ब्राहमण निवासी निवासीगण ढाणी भालोठ जिला झुंझुनूं।

.... वादीगण

बनाम

1. रामकुमार } पुत्र भगवाना
2. प्रभाती }
3. शाति पुत्री भगवाना
4. कान्ता पत्नी बलवान
5. बुद्वीधर } पुत्र बलवान नवीरा भगवाना जाति ब्राहमण निवासी ढाणी भालोठ
6. लक्ष्मीचंद }
7. बजरंगलाल }
8. बर्फी देवी पत्नी सुखराम पुत्री दाताराम जाति ब्राहमण निवासी ढाणी भालोठ हाल नांगल जमालपुर तहसील पाड़ला जिला रेवाडी हरियाणा।
9. शेखावटी ग्रामीण बैक भालोठ ।
10. भूमि धारक जरिये तहसीलदार बुहाना।

.... प्रतिवादीगण

दावा – रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

दिनांक 01–07–2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:29:00 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की और से वाद पत्र निम्न प्रकार [illegible] है–

1. यह कि ग्राम ढाणी भालोठ स्थित भूमि खाता [illegible] के खसरा नम्बर 319 रकबा 0.80 है., खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.030 [illegible] खसरा नम्बर 321 रकबा 0.090 है., खसरा नम्बर 322 रकबा [illegible] है. खसरा नम्बर 323 रकबा 1.64है. खसरा नम्बर 324 रकबा 1.05 है. किता 6 [illegible] रकबा 4.2 है. भूमि जमाबंदी [illegible] रिकार्ड है। इस भूमि में सं. 2072–75 में वादीगण खातेदार कास्तकार दर्ज [illegible]

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादीगण संख्या 1 का हिस्सा 3/8, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा 3/8 है तथा वादी संख्या 4 लगायत 7 का हिस्सा 1/4 है। इस प्रकार वादीगण की खातेदारी की भूमि का रकबा जो नक्शा किस्तवार सन् 1978–79 में छोटा कर दिया गया है तथा गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 318 है।

2. यह कि वाद पत्र के खण्ड नम्बर 1 में दर्ज विवादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 321 से बनी है। गत खसरा नम्बर 321 के नक्शें सं. 1995 में वादीगण का रकबा पुरा था । वादीगण के पश्चिमी ओर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की भूमि गत खसरा नम्बर 321 जिसके हाल खसरा नम्बर 306 रकबा 0.58 है., खसरा नम्बर 307/2 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 316 रकबा 0.010 है., खसरा नम्बर 317 रकबा 3.23 है. किता 4 कुल रकबा 3.89 है जमबांदी सं. 2072–75 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की खातेदारी में दर्ज है, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 ने अपने हिस्से की जमीन को प्रतिवादी संख्या 8 के यहां रहन कर रखी है।

3. यह कि पैमाईश के दौरान अधिकारियों ने वादीगण की भूमि का रकबा कही 2 मीटर तथा उनक भूमि का दक्षिणी कोणा 6 मीटर हाल नक्शा किश्तकार सन् 1938–79 में धटा दिया है। जबकि उक्तानुसार गत नक्शा सीट सन् 1938–39 में वादीगण का रकबा पूरा था तथा रकबा मौके पर भी पूरा है। लेकिन हाल पैमाईस में राजस्व अधिकरिंकायों ने भूलवश या सहवन से हाल नक्शा का रकबा धटा .दिया है। विधि अनुसार सैटमेंन्ट को किसी भी काश्तकार की भूमि का रकबा कम करने व नक्शे को छोटा बडा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। लेकिन नाजायज लाभ लेकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने वादीगण के खेत के पश्चिम ओर स्थित आम रास्ता जोकि ढाणी भालोठ से हरियाणा सीमा पर स्थित गांव चिण्डालियां को जाता है उक्त रास्ता को प्रतिवादी संख्या 1, 2 वादीगण के खेत में डालना चाहते है उक्तानुसार प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त है।

4. यह कि वादीगण की अपनी भूमि के नक्शा सन् 1978–79 को गत नक्शा सीट सन् 1938–39 के अनुसार दुरूसत करवाकर हा नक्शा सीट 1938–39 के अनुसार दुरूसत करवाकर हाल नक्शा में रकबा उक्त गत नक्शा के अनुसार दर्ज करवाकर नक्शा ट्रेस दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने के अधिकारी है।

5. यह कि दिनांक 04.11.2016 को प्रतिवादी सं. 10 तहसीलदार, बुहाना ने विवादग्रस्त रास्ते की नपति की जिसमें नपति के दौरान प्रतिवादीगण की 396 विवादग्रस्त रास्ता से 3.50 मीटर प्रतिवादीगण की ओर रास्ते मीटर भूमि उक्त विवादग्रस्[illegible] सं. 10 प्रतिवादीगण सं. 1 पश्चिमी तरफ पूरी हो जाती है लेकिन [illegible] की तथा गत शीट सम्वत् लगायत 7 के प्रभाव में हो[illegible] सन 1978–79 के 1995 के अनुसार नपति न[illegible] 1 लगायत 7 की खातेदारी अनुसार नपति कर रास्ते [illegible] के चिन्ह अंकित में मिलाते हुए वादीगण के खेत में नया [illegible] सन् 1938–39 के अनुसार कर दिये। उक्तानुसार गत् नक्शा किश्तवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:29:00 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादीगण के खेत गत खसरा नंबर 321 व प्रतिवादीगण के खेत गत खसरा नंबर 312 के मध्य सही जगह दर्शित किया गया है। परन्तु वर्तमान नक्शा किश्तवार सन् 1978–79 में वादीगण के खेत का रकबा घटाकर रास्ते की भूमि का रकबा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 7 की भूमि गत खसरा नंबर 312 जिसके हाल खसरा नंबर 306, 307/2, 316 व 317 में मिला दिया गया जो कतई गलत है। इस प्रकार वादीगण प्रतिवादी सं. 10 द्वारा दिनांक 04.11. 2016 को की गई नपति में प्रतिवादी सं. 10 ने 9.50 मीटर रास्ता वादीगण के खेत की भूमि में से ही नापकर डाल दिया कतई गलत है।

6. यह कि उक्तानुसार प्रतिवादी सं. 1 व 2 को नया नक्शा के आधार पर वादीगण के खेत मे नया रास्ता डालने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण को वादीगण के खेत में से नया रास्ता कायम कर जो कदीम से ग्राम ढाणी भालोठ से चिण्डालिया को जो रास्ता जाता है, उसके रकबा को अपनी उक्त खातेदारी की भूमि जिसका वाद पत्र की खण्ड सं. 2 में दर्ज किया गया है, मे मिलाने का व वादीगण को उनके द्वारा उनके हिस्से की भूमि व उक्त प्रश्नगत रास्ता का लगातार शांतीपूर्वक किये जा रहे उपयोग व उपभोग को बाधित करने के अधिकारी नही है।

7. इस प्रकार प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 7 यदि उक्त नया नक्शा किश्तवार के आधार पर उक्त कदीमी रास्ता को अवरुद्व कर वादीगण के खेत में से नया रास्ता डालने मे कामयाब हो जायेंगे तो वादीगण को ऐसी क्षति होगी जिसकी कभी भी मुद्रा के रुप मे भरपाई नही की जा सकेगी।

8. यह कि प्रतिवादी सं. 1 बाहुबंली है उसके घर मे 10–11 आदमी है तथा उसका स्थानीय प्रशासन व राजनेताओं से काफी उठना बैठना है, वह बहुत प्रभावशाली व खुंखार किस्म का लड़ाई–झगड़ा करने वाला व्यक्ति है वह वादीगण को गत सप्ताह से वादीगण को धमकी दे रहे है किवह जबरन लठ के बल पर प्रश्नगत भूमि वादीगण के हक व हिस्से वाली भूमि पर नये नक्शा को आधार बना कर कब्जा करेंगें तथा उक्त कदीमी रास्ता को बंद कर वादीगण के खेत में से नया रास्ता डालने पर आमादा है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को वादीगण ने काफी समझाया लेकिन वह मानने से साफ इंकार हो गये।

इसलिए ऐसी परिस्थिति में वादीगण के लिए बेहद आवश्यक हो गया है किवह वादीगण की भूमि जिसका वाद [illegible] दर्ज भूमि के हाल नक्शा को गत नक्शा के अनुसार दुरुस्त करवाये त[illegible]गण सं. 1 से 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवा[illegible] काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे तथ[illegible] वादीग[illegible] खेत में से कोई नया रास्ता कायम करे तथा ऐसी नाही [illegible] मिलने, जुलने वालों, ईष्टजनों, मित्रगणों या एजेण्टस, सर्वेण्टस से करवा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:29:00 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

10. यह कि वादीगण को सर्वप्रथम वादकारण (Cause of action) गत् सप्ताह प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 द्वारा उनके खेत में नया रास्ता डालने की धमकी देने से पैदा हुआ है जो निरन्तर जारी है। अतः दावा सावधि पेश है।

11 यह कि रिकार्ड दुरुस्ती के लिऐ कोई मियाद निर्धारित नही है, मगर फिर भी दावा भारतीय मियाद अधिनियम के अनुसार अन्दर मियाद पेश है।

12. यह कि प्रतिवादीगण सं. 4 से 7 स्व. चिरंजी के वारिसान है इसलिए उन्हे आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद मे पक्षकार बनाये गये है तथा प्रतिवादी सं. 4 से 7 ने प्रतिवादी सं. 8 के यहां भूमि रहण कर रखी है, तथा प्रतिवादी सं. 9 का भी इस प्रश्नगत भूमि मे हितनिहित होने से प्रतिवादी सं. 11 भूमिधारक होने से उसे पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

13. यह कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम ढाणी भालोठ में स्थित है जो तहसील बुहाना में स्थित है जो कि श्रीमान जी के हदूद में स्थित है, इसलिए इस वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

14. यह कि वाद पत्र निर्धारित दो रुपये शुल्क न्याय शुल्क पर सेवार्पित है।
15. यह कि वाद पत्र भूमि के गत् व नवीनतम रिकार्ड सहीत प्रस्तुत है।
अतः वादीगण की ओर से वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है–

(क) कि वाके ग्राम ढाणी भालोठ तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल हाल खाता सं. 161 खसरा नंबर 319 रकबा 0.8000 है0 खसरा नंबर 320 रकबा 0.0300 है0 खसरा नंबर 321 रकबा 0.0900 है0 खसरा नंबर 322 रकबा 0.6300 है0, खसरा नंबर 323 रकबा 1.6400 व खसरा नंबर 324 रकबा 1.0500 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.2400 है0 , भूमि जमाबंदी सम्बत् 2072–2075 के हाल नक्शा को गत नक्शा सन् 1938–39 सम्वत् 1995 के अनुसार नक्शा किश्तवार सन् 1978–79 को दुरुस्त (Correction of Entriese) किया जाकर वादीगण का सम्पूर्ण रकबा उसमें दर्शाया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किंये जाने की कृपा करे।

(ख) कि प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबन्द किये जावें किवह वादीगण के कब्जे काश्त खाली भूमि वादपत्र के खण्ड सं. 1 मे दर्ज में किसी प्रकार की बाधा कारित नही करें, तथा नाही वह वादीगण की प्रश्नगत भूमि मेसे कोई नया रास्ता कायम करें तथा ऐसा नाही स्वंय करे तथा ना ही अपने मिलने जुलने वालो, ईष्टजनों, मित्रगणों या एजेण्टस, सर्वेण्टस से करवाये।

(ग) कि दावा बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण डिकी किये जाने की कृपा करे।
(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो [illegible] हो न्यायालय श्रीमान जी को देना उचित समझे तो प्रतिवादीगण से दिलवाया [illegible] गई। सभी प्रतिवादीगण की दावा दर्ज पंजिका कर [illegible] के बावजूद [illegible] तामिल के अनुपस्थित रहने पर सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादीगण [illegible] अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:29:00 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट रही की– ग्राम ढाणी भालोठ स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 319 रकबा 0.80 है., खसरा नम्बर 320 रकबा 0.03 है. खसरा नम्बर 321 रकबा 0.09 है., खसरा 322 रकबा 0.63 है., खसरा नम्बर 323 रकबा 1.64 है., किता 5 कुल रकबा 3.19 है. (खाता संख्या 17) तथा खसरा नम्बर 324 रकबा 1.05 है., (खाता संख्या 8) में दर्ज रिकार्ड है। (जिसका गत खसरा नम्बर 321 से बने है।) की मौके पर वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस की सत्यप्रतिलिपि से नपती की गई। प्रदर्श मौका सलंग्न है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 29–10–2020 डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थना–पत्र आवेदक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी भालोठ तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल हाल खाता सं. 161 खसरा नंबर 319 रकबा 0.8000 है0 खसरा नंबर 320 रकबा 0.0300 है0 खसरा नंबर 321 रकबा 0.0900 है0 खसरा नंबर 322 रकबा 0.6300 है0, खसरा नंबर 323 रकबा 1.6400 व खसरा नंबर 324 रकबा 1.0500 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.2400 है0 , भूमि जमाबंदी सम्बत् 2072–2075 के हाल नक्शा को तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 19.10.2020 के बिन्दू 2 व 4 के अनुसार ग्राम भालोठ , ढाणी भालोठ एवं नांगल काठां (तीनो ग्रामों) के सेहदा बिन्दु तक खसरा नम्बर 317, 318 की नपती कर कुल लम्बाई 396 मीटर पूरी कर बिन्दू संख्या 4 के अनुसार रास्ते के खसरा नम्बर 318 की चौडाई 6मीटर के स्थान पर 4 मीटर करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रदर्श– अ के अनुसार मौके पर स्पष्ट सीमाचिन्ह व तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 01–07–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद, मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:29:00 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

सीन अधिकारी –: सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

व वाद सं.– 170/2016

य दिनांक : 01–07–2022

रामकुमार आदि बनाम **रामकुमार आदि**

दावा – रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से **श्री रोहित पोषवाल** की उपस्थिती में तथा प्रतिवादीगण की अनुपस्थित में इस वाद में आज तारीख 01–07–2022 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष डिक्री निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दीं जाती है कि–

"न्यायालय प्रार्थना–पत्र आवेदक डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी भालोठ तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल हाल खाता सं. 161 खसरा नंबर 319 रकबा 0.8000 है0 खसरा नंबर 320 रकबा 0.0300 है0 खसरा नंबर 321 रकबा 0.0900 है0 ख़सरा नंबर 322 रकबा 0.6300 है0, खसरा नंबर 323 रकबा 1.6400 व खसरा नंबर 324 रकबा 1.0500 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.2400 है0 , भूमि जमाबंदी सम्बत् 2072–2075 के हाल नक्शा को तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 19.10.2020 के बिन्दू 2 व 4 के अनुसार ग्राम भालोठ , ढाणी भालोठ एवं नांगल काठा (तीनों ग्रामों) के सेहदा बिन्दु तक खसरा नम्बर 317, 318 की नपती कर कुल लम्बाई 396 मीटर पूरी कर बिन्दू संख्या 4 के अनुसार रास्ते के खसरा नम्बर 318 की चौडाई 6मीटर के स्थान पर 4 मीटर करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रदर्श– अ के अनुसार मौके पर स्पष्ट सीमाचिन्ह व तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01–07–2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:29:00 IST
Reason: SelfAttested